भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 975

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

975. श्री चन्देश्वर प्रसाद:

क्या *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2014-15 और 2022-23 के बीच देश में कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत हुए हैं;

(ख) वित्त वर्ष 2014-15 और 2022-23 के बीच कितने एमएसएमई बंद कर दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक संकट के कारण कितने एमएसएमई बंद हो गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : **वित्त वर्ष** 2014-15 **और** 2022-23 **के बीच देश में पंजीकृत सूक्ष्म**, **लघु और मध्यम उद्यमों** (**एमएसएमई**) **की संख्या निम्नानुसार है**::-

वर्ष	**उद्योग आधार ज्ञापन**(यूएएम) **पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या** (**आरंभ** 18.09.2015 **से** 30.06.2020 **तक**)	**उद्यम पंजीकरण (यूआर) पोर्टल पर उद्यम असिस्ट प्लैटफ़ार्म सहित पंजीकृत एमएसएमई की संख्या** (01.07.2020 **से** 31.03.2023 **तक**)
2014-15 **से** 2022-23	1,01,99,451	1,65,72,312

(ख) और (ग) : **वित्तीय वर्ष** 2014-15 **और** 2022-23 **के बीच देश में बंद हो चुके /बंद होने वाले सूक्ष्म**, **लघु और मध्यम उद्यमों** (**एमएसएमई**) **की संख्या इस प्रकार है**: -

वर्ष	**यूएएम पोर्टल के अनुसार बंद हो चुके एमएसएमई की संख्या** (**आरंभ** 18.09.2015 **से** 30.06.2020 **तक**)	**यूएएम पोर्टल के अनुसार बंद हो चुके एमएसएमई की संख्या** (01.07.2020 **से** 31.03.2023 **तक**)
2014-15 **से** 2022-23	1,897	19,687

एमएसएमई के द्वारा दिए गए संकेतानुसार, उद्यम पंजीकृत उद्यमों को बंद करने और समाप्त करने के कारणों में, **अन्य कारनों के अलावा**, **व्यवसाय का बंद होना**, **मालिक का नाम बदलना**, **उद्यम की आवश्यकता नहीं होना और डुप्लिकेट पंजीकरण शामिल हैं।**

(घ): **आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने देश में सूक्ष्म**, **लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन के लिए कई प्रयास किए हैं। इसमें शामिल हैं**:

- **एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड।**
- **"दिनांक** 01.07.2020 **से व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।**
- **आत्म निर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।**
- **एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।** 31.03.2023 **तक यह योजना चालू थी।**
- **200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।**
- **एमएसएमई के शिकायत समाधान और हैंडहोल्डिंग सहायता सहित ई - गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करते हुए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैम्पियन्स" की शुरुआत की गई है।**
- **दिनांक** 02.07.2021 **से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।**
- **एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामले में** 3 **वर्षों के लिए गैर - कर का लाभ विस्तारित कर दिया गया है।**
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक** 11.01.2023 **को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।**

*****